संख्या– 05 गो0से0आ0/सैंतीस–2–2020

प्रेषक,

बी0एल0 मीणा,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

पशुधन अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक 08 जनवरी, 2020

विषयः–उ0प्र0 के समस्त ग्रामीण व शहरी स्थानी निकायों (यथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों) में अस्थायी गोवशं आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन नीति के प्रख्यापन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निर्गत शासनादेश संख्या–4324/सैंतीस–2–2018–5(53)/2018 दिनांक 02.01.2019 एवं शासनादेश संख्या–261/सैंतीस–2–2019–5(53)/18 दिनांक 28.01.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा क्रमशः उ0प्र0 के समस्त ग्रामीण व स्थानीय निकायों में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन नीति का प्रख्यापन किया गया है तथा इस संबंध में निराश्रित/बेसहारा गोवशं हेतु अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल विषयक परामर्शी मार्ग निर्देश भी जारी किये गये हैं।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण अजीविका मिशन, शहरी अजीविका मिशन, गोवर्धन योजना में चलने वाले महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को गौ शालाओं से जोड़कर उन्हे सामर्थवान बनाये जाने के संबंध में यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(बी0एल0 मीणा)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 05 (1) गो0से0आ0/सैंतीस–2–2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) समस्त नगर आयुक्त, उ0प्र0.(जिलाधिकारी के माध्यम से)
(2) निदेशक, प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र पशुपालन विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
(4) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, बादशाह बाग लखनऊ।
(5) अध्यक्ष, उ0प्र0 गो0से0आ0 इन्दिरा भवन, लखनऊ।
(6) समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत उ0प्र0 (जिलाधिकारी के माध्यम से)
(7) समस्त जिला पंचायत राज्य अधिकारी, उ0प्र0 (जिलाधिकारी के माध्यम से)
(8) समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, उ0प्र0 (जिलाधिकारी के माध्यम से)

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

Scanned by CamScanner